# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
## पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 95/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (निगराकार)

बनाम

1. रामचरण पुत्र श्री घॉसीलाल जाति ओझा निवासी केलवाड़ा ग्राम पंचायत केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. ग्राम पंचायत केलवाड़ा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, शाहाबाद जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

**निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994**

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री प्रियदर्शन शर्मा अभिभाषक (गैर निगराकार कम 1)

**निर्णय दिनांक 04.08.2022**

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 06.09.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 803 साइज 100X80 कुल क्षेत्रफल 8000 वर्गफीट का गैर निगराकार कम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टा मकानों का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान बना होना नहीं पाया है। ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया है और राजकोष को हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत केलवाड़ा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट 2003–04 में उक्त बाबत आक्षेप गठित किया गया था जिसकी जांच विकास अधिकारी व लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां द्वारा की गई थी। इस जांच में भी गैर निगराकार को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्ध पाया गया है और गैर निगराकार से मुताबिक डीएलसी दर 79000/– रूपये वसूली योग्य पाये गये हैं जो भी गैर निगराकार द्वारा जमा नहीं करवाये गये हैं। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 06.09.2003 को जारी पट्टा संख्या 803 निरस्त फरमावें। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 जर्ये अभिभाषक तथा अप्रार्थी कम 2 जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित हुये। गैर निगराकार क्रम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि विवादित पट्टे का भूखण्ड प्रार्थी ने रामप्रसाद पुत्र लालचन्द कुशवाह से खरीद किया है जिसे ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने 20.03.1990 को उक्त विवादित भूखण्ड बेचान किया था। इसी बेचानशुदा भूखण्ड को गैर निगराकार द्वारा खरीद किया गया था जिस पर पूर्व से मकान बना हुआ था जिसके नियमितिकरण हेतु प्रार्थी ने पंचायत को आवेदन किया था जिस पर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 06.09.2003 को विधिक रीति से विवादित पट्टा नं. 803 प्रार्थी को जारी किया गया है जो वैध है। गैर निगराकार कम 2 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ कार्यालय [illegible] तथा अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष [illegible] गैर निगराकार क्रम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन [illegible] कि गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा मकानों का विनियमि[illegible]रण नियम 157 (ख) के [illegible] जारी करना दर्शाते हुए पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाकर राजकोष को हानि पहुंचाई है। गैर निगराकार को अन्तर राशि जमा कराये जाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी गैर

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

निगराकार द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं करवाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 803 दिनांक 06.09.2003 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 ने विवादित पट्टे का भूखण्ड जिस पर पूर्व से मकान बना हुआ था रामप्रसाद पुत्र लालचन्द कुशवाह से जर्ये नोटेरी द्वारा प्रमाणित बेचान नामा क्रय किया था तथा भूखण्ड पर निर्मित मकान के नियमितिकरण हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया था जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। गैर निगराकार क्रम 1 का मकान पट्टा जारी किये जाने के पूर्व से बना हुआ है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार क्रम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिबीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 ने रामप्रसाद पुत्र लालचन्द कुशवाह से विवादित भूखण्ड क्रय किया था तथा रामप्रसाद के पक्ष में इसी भूखण्ड का ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा पट्टा संख्या 130 दिनांक 18.01.1991 को जारी किया गया था तथा भूखण्ड क्रय करने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में विवादित पट्टा संख्या 803 दिनांक 06.09.2003 जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एक ही भूखण्ड के दो बार पृथक पृथक पट्टे जारी किये गये है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11006/2012 बउनवान Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 57/2020 बउनवान Khusal Singh Vs. State Of Rajasthan & Ors में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को निर्मित मकान का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के तहत उक्त पट्टा जारी किया गया है जबकि मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट मौके पर भूमि खाली पड़ी थी। तथा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज भूमि से अधिक भूमि पट्टा जारी किया गया है। तथा पूर्व में रामप्रसाद पुत्र लालचन्द कुशवाह के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 130 दिनांक 18.01.1991 के अस्तित्व में होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्व जारी किया गया है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्री रामचरण पुत्र घॉसीलाल ओझा को जारी पट्टा क्रमांक 803 दिनांक 06.09.2003 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:31 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
कलक्टर, बारां

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)